



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230633  
CG-DL-E-22102021-230633

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]  
No. 490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/317/2014/डीडी/336/2014/डीसी/490/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077), 215, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली 110 049 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. श्री किशन गुप्ता (सदस्यता संख्या 084077) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./354/2021-22]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA****(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/317/2014/DD/336/2014/DC/490/2016.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077), 215, Gulmohar Enclave, NEW DELHI 110 049**, guilty of Professional and other Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077)**, from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Shri Kishan Gupta (Membership No. 084077)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 22<sup>nd</sup> October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./354/2021-22]